07.10.25 पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उप. उन्हें सुना गया। उन्होंने अवगत कराया कि वाके ग्राम मालपुर व रणधीरगढ़ की आराजीयात में प्रार्थीया संख्या 1 का नाम प्रेमवती के स्थान पर प्रेमदेवी एवं प्रार्थी सं. 2 का नाम मोहनलाल के स्थान पर मोहन राजस्व कर्मचारियों की सहवन गलती से दर्ज हो गया, जबकि प्रार्थीगण के आधार कार्ड, जमाबंदी आदि दस्तावेजात में सही नाम प्रेम देवी व मोहनलाल दर्ज है। अत: प्रार्थीगन के नाम शुद्ध किये जावे।

हमने बहस वकील प्रार्थीगण पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भली भाँति अध्ययन किया गया। उक्त के आधार पर हम नाम शुद्ध किया जाना उचित पाते है

अत: प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आ.ख. नं. 108, 11, 165, 209, 8, 285 वाके ग्राम मालपुर व ख. नं. 1427, 1467 वाके ग्राम रणधीरगढ़ तह. भुसावर में प्रार्थीया सं. 1 के गलत नाम प्रेमवती के स्थान पर प्रेमदेवी व प्रार्थी संख्या 2 के गलत नाम मोहन के स्थान पर मोहनलाल दुरुस्त राजस्व रिकॉर्ड किया जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो, बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०